मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 24/04/2019

क्रमांक एफ 12-08/2019/32-3- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना क्रमांक जीएसआर 338 (ई) दिनांक 23/03/2016 द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 प्रकाशित किये गये हैं जो सम्पूर्ण भारत में दिनांक 01/10/2016 से प्रभावशील हैं। नियमों में इलेक्ट्रानिक्स व इलेक्ट्रिकल उपकरणों के उपयोग पश्चात् प्राधिकृत संस्थाओं के माध्यम से अपवहन (Disposal) किये जाने का प्रावधान है।

2/ मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली प्रकरण क्रमांक 512/2018 (शैलेश सिंह विरूद्ध उत्तर प्रदेश व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12/02/2019 के परिप्रेक्ष्य में उक्त नियमों के प्रावधानों के प्रदेश में पालन की समीक्षा हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :-

1.	जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश शासन	-	अध्यक्ष
2.	प्रभारी, जिला सूचना केन्द (NIC)	-	सदस्य
3.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	-	सदस्य
4.	जिला शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य
5.	जिला चिकित्सा अधिकारी	-	सदस्य
6.	क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-	संयोजक

3/ वर्ष में कम से कम चार बार बैठकों का आयोजन किया जावे। बैठक में आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ/अन्य अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।

Dajin

(अनुपम राजन)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 12-08/2019/32-3 भोपाल,दिनांक 24/04/2019

प्रतिलिपि :

1. समस्त जिला कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश ।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल/ इन्दौर/ धार/ उज्जैन /गुना/ देवास/ पीथमपुर/ एसईजेड-पीथमपुर/ जबलपुर/ ग्वालियर/ छिन्दवाड़ा/ सागर/ कटनी/ सतना/ रीवा/ सिंगरौली/ शहडोल/ (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विधि अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उपसचिव,मुख्य सचिव कार्यालय की ओर टीप क्रमांक 2836/सीएस/मॉनिट/2019,दिनांक 18/4/2019 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया उक्त मॉनिट प्रकरण को लंबित प्रकरणों की सूची से विलोपित करने का कष्ट करें ।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग